



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-74

आर.बी.ई. सं.- निल

पत्र सं ई/239/2(iv)

NER-HQ/PERS(POLI)/23/2020-O/o SPO/HQ/HQ/NER

दिनांक 01.01.2021

मण्डल रेल प्रबन्धक

पूर्वोत्तर रेलवे

वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर ।

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

Pradyumn Kumar
01/01/20

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के समय शैक्षिक योग्यता के सत्यापन के सम्बन्ध में ।

.....

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के पूर्व शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि लखनऊ एवं वाराणसी मण्डल में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के मामलों में कार्मिक कल्याण निरीक्षक के द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता का सत्यापन के बिना ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुकम्पा डीलर द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन सम्बन्धित विद्यालय से करने हेतु पत्र लिखा जाता है तथा प्रतिलिपि सम्बन्धित कल्याण निरीक्षक को भी विद्यालय से शैक्षिक योग्यता के सत्यापन हेतु दिया जाता है, जिससे अनुकम्पा मामलों में नियुक्ति में विलम्ब होती है ।

उक्त सम्बन्ध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी पालसी के मिसिल संख्या ई/239/0/भाग-V/पाँच दिनांक 28.02.2017 के पैरा-18.07 में दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जो निम्न है-

“नियुक्ति हेतु आवेदन फार्म, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र के सत्यापन रिपोर्ट सहित हित निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित डीलर का यह दायित्व है कि वे यथाशीघ्र प्रपत्रों का परीक्षण कर सक्षम अधिकारी को नोटिंग निर्धारित टाप शीट अनुलग्नक-IX के प्रारूप पर उचित माध्यम से प्रस्तुत करें ।”

अतः पद्यति सुधार जारी किया जाता है कि कार्मिक कल्याण निरीक्षक अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के सत्यापन कराने के उपरान्त ही जाँच रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि अनुकम्पा मामलों की नियुक्ति में विलम्ब से बचा जा सकें ।

Pradyumn Kumar
01.01.2021
(प्रदीप कुमार)

वकाधि/मुख्यालय

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) उप मुसताधि/लेखा का पत्र संख्या जेड/13/वी-4/2020/09/00760/89, 90

दिनांक 14.12.2020 के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित ।

Pradyumn Kumar
01/01/20

Pradyumn Kumar

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Pradyumn Kumar
01.01.2021